

Pay Scale of Doctors

27. SH. GHANSHYAM DASS (Yamunanagar)

14/17/201

Will the Health Minister be pleased to state:-

- a) whether it is a fact that there is great disparity in the pay scales of doctors in two departments of Government i.e., the Medical Education Department and Health Department;
- b) it is also a fact that the Doctors working in the Government Medical Colleges of Haryana have much better avenues of promotion and get better financial benefits in comparison to the Doctors working in Health Department even with the same qualification; and
- c) if so, the reasons for such disparity together with the steps are being taken by the Government to remove such disparity?

ANIL VIJ, HEALTH MINISTER

- a) No Sir, There is no great disparity, however the initial pay scale of Medical Officers in Health Department is Functional Pay Level (FPL)-10 and essential qualification is MBBS, whereas the initial pay scale of Assistant Professor in Medical Education Department is Functional Pay Level (FPL)-11 and essential qualification is MBBS + Post Graduation+ One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted medical college after acquiring MD/MS Degree. The nature of work of doctors in Health Department includes providing Primary and Secondary Healthcare, where as the nature of work of doctors in Medical Colleges is providing secondary, tertiary healthcare along with teaching of Undergraduate, Post graduate students of Medical and paramedical courses.
- b) No Sir, Doctors posted in Health Department can be promoted from Medical Officer to Senior Medical Officers, Principal Medical Officers/ Civil Surgeon, Director Health Services, Additional Director General Health Services & Director General Health Services whereas in Medical Education & Research Department Assistant Professor can be promoted to Associate Professor and Professor.
- c) Does not arise in view of response to part (a & b).

चिकित्सकों का वेतनमान

27. श्री घनश्याम दास (यमुनानगर):

14/17/201

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएं कि:-

क) क्या यह तथ्य है कि सरकार के दो विभागों अर्थात् चिकित्सा शिक्षा विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों के वेतनमान में बहुत असमानता है;

ख) क्या यह भी तथ्य है कि एक समान योग्यता होने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत चिकित्सकों की तुलना में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्य करने वाले चिकित्सक पदोन्नति में बेहतर रास्ते तथा बेहतर आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं; तथा

ग) यदि हां, तो इस असमानता के कारण क्या हैं तथा इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

अनिल विज, स्वास्थ्य मंत्री

क) नहीं श्रीमान जी, कोई बड़ी असमानता नहीं है, हालांकि स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों का प्रारंभिक वेतनमान कार्यात्मक वेतन स्तर (एफपीएल)-10 है और आवश्यक योग्यता एम0बी0बी0एस0 है, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग में सहायक प्रोफेसर का प्रारंभिक वेतनमान है कार्यात्मक वेतन स्तर (एफपीएल)-11 और आवश्यक योग्यता एम0बी0बी0एस0+पोस्ट ग्रेजुएशन+एम0डी0/एम0एस0 डिग्री प्राप्त करने के बाद किसी मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त मेडिकल कॉलेज में संबंधित विषय में सीनियर रेजिडेंट के रूप में एक वर्ष है। स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों के काम की प्रकृति में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है, जबकि मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सकों के काम की प्रकृति में मेडिकल और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के स्नातक, स्नातकोत्तर छात्रों को पढ़ाने के साथ-साथ माध्यमिक, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना शामिल है।

ख) नहीं श्रीमान जी, स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टरों को चिकित्सा अधिकारी से वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, प्रधान चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, अतिरिक्त महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है जबकि चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में सहायक प्रोफेसर को एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पद पर पदोन्नत किया जा सकता है।

ग) भाग (क और ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।